न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 248 / 2016

बउनवान

राधाकिशन पुत्र कंवरलाल जाति धाकड़, उम्र 62 वर्ष, निवासी रूपपुरा, तहसील अन्ता, जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री महेश प्रकाश गौतम, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 19.07.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 15.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रूपपुरा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 2.40 है. में से 0.16 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 256 / – रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा पक्की चारदीवारी नहीं बनाई गई है ना ही कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कोई कब्जा नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण / कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब कर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 15.02.2016 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। रिकार्ड सर्च हेतु टीम गठित कर पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी रिकार्ड प्राप्त नहीं होने पर हमने प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार ही विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.01 13:42:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को गलत तथ्यों के आधार पर सजायाब किया गया है अपीलांट द्वारा पक्की चारदीवारी नहीं बनाई गई है ना ही कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुनवायी जवाबदेही का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कोई कब्जा नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय खारिज फरमाया जावे।

दौराने पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। इसलिये अपीलांट का यह कथन नितान्त असत्य है कि उसे सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलांट ने विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर पक्की चारदीवारी बना ली है। अपीलांट स्वंय ने अपील में अंकित किया है कि "अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कोई कब्जा नही है "। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने स्वंय अपील में अंकित किया है कि "अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कोई कब्जा नही है"। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पक्की चारदीवारी निर्माण कर अतिक्रमण करने पर ही सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 339/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.01 13:42:07 IST
Reason: SelfAttested